फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

लोहडीराम बनाम कमलेश वगै0

किस्म मुकदमा–दावा तकास्मा व स्थाई निषे0 मु0नं0– 22/2025

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.12.2025	पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। दोराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 272/81 वाके रामा अगावली तहसील बहरावण्डा जिला दौसा में स्थित है तथा खसरा नम्बर 721/79 तथा 723/79 वाके ग्राम अगावली में स्थित है जो कि अप्रार्थी संख्या 1 एवं 2 के नाम है। खसरा नम्बर 770/81 अप्रार्थी संख्या 3 एवं 4 के नाम दर्ज है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 772/81 में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की उक्त वर्णित भूमि में होकर रास्ते का उपयोग उपभोग करते चला आ रहा है। तथा प्रार्थी की भूमि तक आने जाने हेतु एकमात्र रास्ता भी यही है। प्रार्थी के पिता का निधन हो चुका है इसलिए प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, प्रार्थी द्वारा वर्तमान जमाबंदी अनुसार वर्तमान में प्रार्थी के नाम नामान्तकरण भी दर्ज किया जा चुका है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रस्तावित रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किए जाने के आदेश तहसीलदार को प्रदान किए जावे। प्रकरण में अप्रार्थीगण बावजूद रजिस्टर्ड तामील अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तहसीलदार बहरवण्डा से प्रकरण में जवाब तलब किया गया। तहसीलदार बहरवण्डा द्वारा अपनी रिपोर्ट में यह अंकित किया गया है कि प्रार्थी के पास प्रश्नगत भूमि में पहुंच के लिए कोई रास्ता मुताबिक रिकॉर्ड दर्ज नहीं है। प्रश्नगत भूमि के लिए न्यूनतम दूरी ग्राम अगावली के खसरा नम्बर 721/79, 723/79, 770/81 में होकर बनती है जिसकी लम्बाई खसरा नम्बर 721/79 में से 32 मीटर खसरा नम्बर 723/79 में से 63 मीटर एवं खसरा नम्बर 770/81 में से 69 मीटर बनती है एवं चौडाई 4 मीटर जिसका कुल क्षेत्रफल 656 वर्गमीटर है। तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा प्रस्तावित रास्ते का नजरी नक्शा भी पेश कियाग गया है जिसका अवलोकन किया गया। पत्रावली एवं जवाब स्टेट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी के पास अपनी खातेदारी भूमि में जाने हेतु रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा प्रस्तावित रास्ता ही निकटतम रास्ता है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम अगावली के खसरा नम्बर 721/79 में से 32 मीटर खसरा नम्बर 723/79 में से 63 मीटर एवं खसरा नम्बर 770/81 में से 69 मीटर एवं चौडाई 4 मीटर कुल क्षेत्रफल 656 वर्गमीटर भूमि डी.एल.सी. की दोगुना राशि पर गै0मु0 रास्ता स्वीकृत की जाती है। रिपोर्ट तहसीलदार बहरावण्डा एवं नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेंगे। तहसीलदार बहरावण्डा उपरोक्तानुसार राशि जमा करने के बाद स्वीकृत रास्ते का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में करें, जमा की गई राशि नियमानुसार खातेदार को देय होगी। तहसीलदार बहरावण्डा को पालना तहरीर जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा